

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10120/3718

दिनांक :- 12/07/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मन मोहन सिंह मीणा [लिंक न. 10120] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर - [956] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 10/06/2019 से 14/06/2019 तक 5 दिवस

कुल 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मन मोहन सिंह मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

6  
(मुकुन्द सौहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10120/3718

दिनांक :- 12/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मन मोहन सिंह मीणा [10120] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

1  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)